संक्षिप्त विज्ञापन

निदेशालय पुलिस दूरसंचार पुलिस मुख्यालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः—न—5(17)वि.सं./2016/2091 दिनांकः—3/11/16

निदेशालय द्वारा निम्नलिखित पदों हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है:—

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम—1989 एवं समय—समय पर होने वाले संशोधनों में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत सीधी भर्ती परीक्षा—2016

क्र. सं.	पदनाम	पद संख्या		आयु (दिनांक 01.01.2017 को)	वेतनमान
		गैर अनुसूचित क्षेत्र	अनुसूचित क्षेत्र		
1	निरीक्षक पुलिस दूरसंचार	7	0	न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष से कम	रनिंग पे बैण्ड—9300—34800 ग्रेड पे—4800
2	उप निरीक्षक प्रवर्तक	6	0	न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष से कम	रनिंग पे बैण्ड—9300—34800 ग्रेड पे—4200
3	उप निरीक्षक तकनीकी	31	02		
4	सहायक उप निरीक्षक तकनीकी	135	11	न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष से कम	रनिंग पे बैण्ड—9300—34800 ग्रेड पे—3600
5	सहायक उप निरीक्षक साईफर	36	03		
6	सहायक उप निरीक्षक फिटर	2	0		

शैक्षणिक योग्यताः—

पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
निरीक्षक पुलिस दूरसंचार	भारत सरकार द्वारा कानूनन मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से टेलीकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रोनिक्स/इलेक्ट्रीकल्स इन्जिनियरिंग में बैचलर्स डिग्री या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य डिग्री। या एम.एस.सी. भौतिक शास्त्र दूरसंचार विषय के साथ या समकक्ष विशेष विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण।
उप निरीक्षक (प्रवर्तक)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र व गणित के साथ बी.एस.सी. या सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई अन्य उपाधि या राज्य पुलिस दूरसंचार निदेशालय की द्वितीय श्रेणी ऑपरेटर परीक्षा उत्तीर्ण एवं द्वितीय श्रेणी ऑपरेटर के रूप में दो वर्ष का अनुभव
उप निरीक्षक (तकनीकी)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र व गणित के साथ बी.एस.सी. या सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई अन्य उपाधि या मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियो—टेलिकम्युनिकेशन इन्जिनियरिंग /इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इन्जिनियरिंग में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य डिप्लोमा या राज्य पुलिस दूरसंचार निदेशालय राजस्थान की द्वितीय श्रेणी टेक्नीशियन परीक्षा उत्तीर्ण एवं द्वितीय श्रेणी टेक्नीशियन के रूप में दो वर्ष का अनुभव
सहायक उप निरीक्षक (तकनीकी)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र व गणित के साथ बी.एस.सी. या सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई अन्य उपाधि
सहायक उप निरीक्षक (साईफर)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र व गणित के साथ बी.एस.सी. या सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई अन्य उपाधि
सहायक उप निरीक्षक (फिटर)	मान्यता प्राप्त संस्था का फिटर/इलेक्ट्रीशियन पाठ्यक्रम का योग्यता प्रमाण पत्र या डिप्लोमा या राज्य पुलिस दूरसंचार निदेशालय राजस्थान की तृतीय श्रेणी फिटर/इलेक्ट्रीशियन परीक्षा उत्तीर्ण के साथ तृतीय श्रेणी फिटर/ इलेक्ट्रीशियन परीक्षा के रूप में दो वर्ष का अनुभव

नोटः—अभ्यार्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है।

आवेदन करने की अवधिः— ऑनलाईन आवेदन पत्र दिनांक— 21.11.2016 मध्य रात्रि 12 बजे से 21.12.2016 को मध्य रात्रि 12 बजे तक भरे जा सकेंगें। परीक्षा शुल्क दिनांक— 21.11.2016 मध्य रात्रि 12 बजे से 21.12.2016 को मध्य रात्रि 12 बजे तक (ई—मित्र कियोस्क पर रात्रि 8 बजे) तक ही जमा हो सकेगा। आवेदको को सलाह दी जाती है कि अन्तिम दिनांक का इन्तजार किये बिना निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाईन आवेदन करें।

परीक्षा का माह व स्थानः— लिखित परीक्षा निदेशालय पुलिस दूरसंचार द्वारा निर्धारित स्थान पर आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा की तिथि समाचार पत्रों/वेबसाईट पर प्रकाशित की जावेगी।

अन्य बिन्दु व सूचनाः— परीक्षा शुल्क, आवेदन प्रक्रिया, आरक्षित पदों का वर्गीकरण, आयु में छूट के प्रावधान एवं परीक्षा की स्कीम इत्यादि की सूचना विस्तृत विज्ञापन में राजस्थान पुलिस की वेबसाईट www.police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

इस परीक्षा के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी सूचनाओं को राजस्थान पुलिस की उपरोक्त वेबसाईट से प्राप्त कर सकते है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्गदर्शन/सूचना हेतु निदेशालय पुलिस दूरसंचार, पुलिस मुख्यालय, जयपुर में व्यक्तिगत रूप से अथवा कार्यालय समय में दूरभाष संख्या—0141—2613854, 2740498 पर सम्पर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार महानिरीक्षक पुलिस एवं निदेशक पुलिस, पुलिस दूरसंचार, राजस्थान, जयपुर को सम्बोधित किया जावे।

(सुनील दत्त)
महानिरीक्षक पुलिस एवं
निदेशक पुलिस दूरसंचार
राजस्थान, जयपुर।

निदेशालय पुलिस दूरसंचार राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः–न–5(17)वि.सं./2016/2090 दिनांकः– 3/11/16

विज्ञप्ति

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम–1989 एवं समय–समय पर होने वाले संशोधनों में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत राजस्थान पुलिस दूरसंचार में निरीक्षक पुलिस दूरसंचार, उप निरीक्षक (प्रवर्तक), उप निरीक्षक (तकनीकी), सहायक उप निरीक्षक (तकनीकी), सहायक उप निरीक्षक (साईफर) एवं सहायक उप निरीक्षक (फिटर) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन–पत्र (Online Application Form) आमंत्रित किए जाते हैं। यह आवेदन पत्र (Online) राजकॉम इन्फो सर्विसेज लि. द्वारा संचालित समस्त ई–मित्र कियोस्क एवं जनसुविधा केन्द्र (Common Service Centre) पर दिनांक **21.11.2016** से भरे जा सकते हैं।

1. आवेदन प्रक्रियाः–

आवेदन Online Application Form से लिये जाएंगे, जिन्हें **राज्य के निर्धारित ई–मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र** के माध्यम से भरा जा सकता है अथवा अभ्यर्थी स्वयं भी ऑनलाईन आवेदन भर सकता है।अभ्यर्थी ऑन–लाईन आवेदन करने से पूर्व अपना E-mail Id बना लें एवं E-mail Id एवं Password याद रखें।

यदि आवेदक ई–मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से आवेदन भरता है तो ई–मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र संचालक सबसे पहले राजस्थान पुलिस की वेबसाईट www.police.rajasthan.gov.in पर जाकर Recruitment पर Click करेगा। सम्बन्धित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click करने पर Login Page खुलेगा जिसमें ई–मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र अपने स्वयं के E-mitra Id एवं Password से Login कर Current Recruitment पर जाकर अभ्यर्थी का आवेदन भरेगा। यदि अभ्यर्थी पहले से ही www.sso.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत है तो सीधे ही उसका SSO ID एवं Password डालकर उसका आवेदन भर सकते है। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नही है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click कर www.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करेंगें। पंजीयन के उपरान्त उसका SSO ID एवं Password प्राप्त कर Login करेंगें। ई–मित्र कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र संचालक आवेदक का आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के बाद Application Preview Page खोलकर अभ्यर्थी को उसका भरा हुआ आवेदन दिखायेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने भरे हुए आवेदन की पुनः गहनता से जॉच करेगा। यदि आवेदन में कोई त्रुटि रह जाती है तो ई–मित्र कियोस्क संचालक अभ्यर्थी के आवेदन में आवेदक से परामर्श कर त्रुटियों को दूर करेगा। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Preview दिखाकर यह सुनिश्चित करेगा कि आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। सही–सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click करेगा। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा। सम्पूर्ण आवेदन भरने के बाद अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित परीक्षा शुल्क ई–मित्र कियोस्क पर जमा करावें। इस हेतु अभ्यर्थी द्वारा रूपये **30/– (रूपये 20/–** आवेदन पत्र भरने हेतु + रूपये 10/– परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देना होगा। आवेदन भरने के बाद अभ्यार्थी ई–मित्र कियोस्क संचालक से भरे हुए आवेदन की हार्ड कॉपी एवं आवेदन भरने की रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें।

यदि अभ्यर्थी स्वयं अपने स्तर पर आवेदन भरते है तो सबसे पहले राजस्थान पुलिस की वेबसाईट www.police.rajasthan.gov.in पर जाकर Recruitment पर Click करें तथा सम्बन्धित भर्ती परीक्षा के सामने Apply Online पर Click कर Login करें। यदि अभ्यर्थी पहले से ही www.sso.rajasthan.gov.in पर पंजीकृत है तो सीधे ही अपना SSO ID एवं Password डालकर अपना आवेदन भर सकते है। जो अभ्यर्थी पहले से पंजीकृत नही है उसका पहले Not a Registered User Link पर Click करेंगें तथा www.sso.rajasthan.gov.in पर अपना पंजीयन करायेंगें। पंजीयन के उपरान्त उसका SSO ID एवं Password प्राप्त कर Login करेंगें। इसके पश्चात् Dashboard पर Ongoing Recruitment पर सम्बन्धित परीक्षा के Apply Now link पर Click कर अपना आवेदन

भरेंगें। आवेदन पूर्ण रूप से भरने के बाद Next पर Click करने पर Application Preview Page खुलेगा। अभ्यर्थी स्वयं अपने द्वारा भरे गये आवेदन की पुनः गहनता से जॉच कर ले तथा यदि कोई त्रुटि रह जाती है अभ्यर्थी Update पर Click कर अपने आवेदन में आवेदक संशोधन कर त्रुटियों को सही कर सकता है। त्रुटियों को सुधारने के बाद आवेदक को पुनः उसके आवेदन का Preview देखकर यह सुनिश्चित कर ले कि उनके द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई समस्त प्रविष्टियां पूर्ण रूप से सही है। अभ्यर्थी सही–सही आवेदन भरने के बाद Submit पर Click कर अपना आवेदन भरेंगें। आवेदक अपना आवेदन Submit करने के बाद Ok पर Click करेंगें। इसके बाद आवेदन में कोई संशोधन नही किया जा सकेगा। Ok पर Click करने के बाद Pay Fees का Page खुलेगा। अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुसार परीक्षा शुल्क नेट बैंकिंग / ए.टी.एम. कम डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जमा करवा सकता है। आवेदन की रसीद अभ्यर्थी को ई–मेल / एस.एम.एस. के माध्यम से प्राप्त होगी। **हाथ से भरे आवेदन पत्र किसी भी रूप में चयन बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जावेंगें।**

नोटः–

1. आवेदक अपना ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम रूप से भेजने से पूर्व उसकी प्रविष्टियों से आश्वस्त हो ले कि सभी प्रविष्टियां सही–सही भरी गई है। आवेदक द्वारा आवेदन से भरी गई प्रविष्टियों को ही सही मानकर आगे की कार्यवाही की जायेगी। आवेदक आवेदन को ध्यानपूर्वक भरें। एक बार आवेदन भरने के बाद उसमें रही किसी भी प्रकार की त्रुटि को संशोधित करने की अनुमति नही दी जायेगी।
2. **अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन भरने के उपरान्त रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर लें।**
3. कृपया ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति एवं अभ्यर्थियों के लिए आवेदन व परीक्षा सम्बन्धी सामान्य दिशा–निर्देशों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। इस विज्ञप्ति एवं उक्त दिशा–निर्देश को ध्यान में रखकर ही ऑनलाईन आवेदन भरें।
4. समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नही होने की स्थिति में निदेशालय द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

<u>आवेदन कैसे करें</u>:–

आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है, उस श्रेणी में ही आवेदन प्रस्तुत करें।

नोटः– राजस्थान के अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग की क्रीमीलेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / विशेष पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर एवं नॉन क्रीमीलेयर) के आवेदक सामान्य वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

कृपया ध्यान दें:–

1. आवेदको को हिदायत दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने से पूर्व राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर उपलब्ध **विस्तृत विज्ञापन एवं अभ्यर्थियों के लिये आवेदन व परीक्षा सम्बन्धी सामान्य दिशा–निर्देश के साथ–साथ, सम्बन्धित सेवा नियमों** का भी गहनता से अध्ययन कर लें।

2. ऑनलाईन आवेदन पत्र आवेदन करने की अन्तिम दिनांक तक ही स्वीकार किए जाएंगे। आवेदक आवेदन पत्र प्रेषित करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह विज्ञापन में वर्णित पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है एवं पद के सम्बन्ध में चाही गई आवश्यक समस्त सूचनाएं सम्बन्धित कॉलम में सही–सही एवं पूर्ण रूप से भर दी गई है। समस्त प्रविष्टियां पूर्ण एवं सही नही होने की स्थिति में निदेशालय द्वारा आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा अथवा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचना को ही सही मानते हुये परीक्षा में अस्थाई प्रवेश दिया जाएगा। इसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी।

3. यदि आवेदक द्वारा अपनी श्रेणी से भिन्न श्रेणी में आवेदन किया जाता है तो उसकी श्रेणी में सुधार की सुविधा नही दी जाएगी। गलत श्रेणी में आवेदन करने पर आवेदन पत्र बोर्ड द्वारा किसी भी स्तर पर रद्द किया जा सकता है, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की

होगी। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी Online Application Form प्रस्तुत (Submit) करते समय अपने वर्ग का स्पष्ट उल्लेख निर्धारित कॉलम में करें अन्यथा Online Application Form प्राप्ति की अन्तिम दिनांक पश्चात् वर्ग परिवर्तन नहीं किया जायेगा। ऐसे अभ्यार्थियों को जो सही वर्ग का उल्लेख नही करते है उन्हे विज्ञापित पदों हेतु वर्ग विशेष का लाभ देय नही होगा और ना ही इस सम्बन्ध में किसी प्रार्थना पत्र पर विचार किया जाएगा।

4. निदेशालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में भरी गई सूचनाओं के आधार पर ही अभ्यर्थियों की पात्रता (आयु, योग्यता, श्रेणी आदि) की जॉच की जाएगी। यदि आवेदक द्वारा भरी गई सूचना के आधार पर वह अपात्र पाया जाता है तो उसका ऑनलाईन आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। ऑनलाईन आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में अन्तिम दिनांक के पश्चात् किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नही दी जाएगी और ना ही इस सम्बन्ध में कोई प्रार्थना पत्र निदेशालय द्वारा स्वीकार किया जायेगा।

5. आवेदक जिनके ऑनलाईन आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक निदेशालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को बोर्ड द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा के लिये प्रवेश–पत्र जारी करने का यह अभिप्राय नहीं है कि निदेशालय द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियां निदेशालय द्वारा सही मान ली गई है। निदेशालय द्वारा आवेदकों की पात्रता की जॉच अलग से की जायेगी। अस्थाई रूप से चयन होने की स्थिति में आवेदक को विस्तृत आवेदन दो प्रतियों में समस्त आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियों के साथ निदेशालय में प्रस्तुत करना होगा। निदेशालय द्वारा उम्मीदवार के मूल प्रलेखों से पात्रता की जॉच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग, विधवा, परित्यक्ता, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी या अन्य शर्तो की पालना नही करने के कारण यदि अभ्यर्थी की अपात्रता का पता चलता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।

6. अभ्यार्थियों की सुविधा हेतु विस्तृत विज्ञापन राजस्थान पुलिस की वेबसाईट **www.police.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।

7.फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्कैन और अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देश

फोटो अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देशः–

a. फोटोग्राफ और हस्ताक्षर स्पष्ट नही होने पर आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है।
b. आवेदक को नवीनतम रंगीन फोटो (अधिकतम छः माह पुराना) अपलोड करनी चाहिए। मोबाईल व अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग नही करें।
c. फोटो की पृष्ठभूमि (Background) सफेद या हल्के रंग की होनी चाहिए।
d. फोटो में आवेदक का चेहरा कम से कम 50 प्रतिशत जगह घेरना चाहिए।
e. फोटो में आवेदक का चेहरा एवं सिर किसी भी कपड़े, छाया, बालों द्वारा ढका हुआ नही होना चाहिए। आवेदक का सिर, ऑख, नाक और ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए।
f. यदि आप चश्मा पहनते है, तो फोटो खिचवातें समय चश्मा पहन सकते हैं लेकिन चश्में पर चमक (Flash) नहीं होनी चाहिए।
g. आवेदक की फोटो में काला या धूप का चश्मा नही होना चाहिए।
h. फोटो जेपीईजी (JPEG) प्रारूप में होना चाहिए एवं इसकी साईज 3.5 cm x 4.5 cm होनी चाहिए।
i. फोटो जेपीईजी (JPEG) के पिक्सेल न्यूनतम 240 x 320 एवं अधिकतम 480 x 640 (0.3 मेगापिक्सल) होना चाहिए।
j. फाईल का आकार 50 के.बी. से 100 के.बी. तक होना चाहिए।
k. स्कैन की गई फोटो का आकार 100 के.बी. से ज्यादा नही होना चाहिए।
l. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर लगी फोटो आवेदक से मेल खानी चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।

हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए दिशा–निर्देशः–

a. आवेदक एक सफेद कागज (A4 Size) पर 7 सेमी चौडाई एवं 2 सेमी ऊँचाई के एक आयताकार बॉक्स के भीतर काले या गहरे नीले रंग के पेन से हस्ताक्षर करें।
b. हस्ताक्षर केवल आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए अन्य किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर मान्य नही होगा।
c. आयताकार बॉक्स में हस्ताक्षर करने के बाद इमेज को स्केन करवाकर आयाताकार बॉक्स तक क्रॉप करनें के पश्चात् अपलोड करे।
d. परीक्षा के समय प्रवेश पत्र/उपस्थिति पत्र पर किये गये आवेदक के हस्ताक्षर अपलोड हस्ताक्षर से मेल खाने चाहिए अन्यथा उम्मीदवार अयोग्य ठहराया जा सकता है।
e. केवल जेपीईजी (JPEG) प्रारूप स्वीकार किया जाएगा।
f. जेपीईजी (JPEG) के लिए न्यूनतम पिक्सेल 280 X 80 से अधिकतम पिक्सेल 560 X 160 होना चाहिए।
g. फाईल का आकार 20 के.बी. से 50 के.बी. तक होना चाहिए।
h. हस्ताक्षर का आकार 50 के.बी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
i. मोबाईल फोन का उपयोग कर लिया गया हस्ताक्षर का फोटाग्राफ स्वीकार नही किया जायेगा।

प्रवेश पत्रः– परीक्षा में प्रवेश हेतु प्रवेश पत्र राजस्थान पुलिस की वेबसाईट के माध्यम से डाउनलोड किए जा सकेंगें। निदेशालय द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जायेगा। प्रवेश पत्र अपलोड किए जाने की सूचना राजस्थान पुलिस की वेबसाईट www.police.rajasthan.gov.in पर जारी की जायेगी तथा यथासंभव अभ्यर्थी के मोबाईल नम्बर पर भी प्रेषित करने का प्रयास किया जायेगा। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र वेबसाईट से प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र क्रमांक एवं फीस जमा कराने का टोकन नम्बर ध्यान में रखें।

2. आवेदन–पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक

(क) ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक **21.12.2016** को रात्रि 11:59 बजे तक भरे जा सकेगें।
(ख) परीक्षा शुल्क जमा कराने की अन्तिम दिनांक **21.12.2016** है।

आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम दिनांक की प्रतीक्षा किए बिना समय सीमा में ऑनलाइन आवेदन करें। विभाग को विशेष परिस्थितियों में इनमें किसी भी दिनांक में संशोधन करने का अधिकार होगा।

3. परीक्षा शुल्क–

(क) सामान्य व अन्य पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदकों हेतु – 1000 रुपये
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु – 750 रुपये
(केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासी हेतु)
(ग) राज्य के बाहर के सभी आवेदको (एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. सहित) – 1000 रूपये

नोट – 1. ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित सेवा शुल्क रुपये 30/– (रुपये 20/– आवेदन–पत्र भरने हेतु + रुपये 10/– परीक्षा शुल्क जमा कराने हेतु) अतिरिक्त रूप से आवेदकों को देने होंगे।
2. आवेदक को प्रत्येक पद की लिए अलग–अलग आवेदन करना होगा। आवेदक जितने पदों के लिए आवेदन करेगा उन सभी पदों के लिए अलग–अलग परीक्षा शुल्क देना होगा।

5. भर्ती हेतु रिक्त पद

निदेशालय पुलिस दूरसंचार जयपुर में संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना की गई है जो निम्नानुसार है। वर्गवार आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशानुसार किया गया है। **आवश्यकता होने पर विभाग विज्ञापित पदों की संख्या में परिवर्तन करने का अधिकार रखता है, जिसके लिए पृथक से विज्ञप्ति जारी नहीं की जावेगी।**

क्र. सं.	पदनाम	रिक्त पद	भू0पू0सै0 आरक्षित 12.5%	खेल कोटा	सामान्य श्रेणी					अनुसूचित जाति					अनुसूचित जनजाति					अ0पि0व0					एस0बी0सी0					कुल योग				
					महिला					महिला					महिला					महिला					महिला					महिला				
					विधवा	परित्यकता	सामान्य	पुरूष	योग	विधवा	परित्यकता	सामान्य	पुरूष	योग	विधवा	परित्यकता	सामान्य	पुरूष	योग	विधवा	परित्यकता	सामान्य	पुरूष	योग	विधवा	परित्यकता	सामान्य	पुरूष	योग	विधवा	परित्यकता	सामान्य	पुरूष	योग
1	निरीक्षक पुलिस दूरसंचार	7	0	0	0	0	1	4	5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	6	7
2	उप निरीक्षक (प्रवर्तक)	6	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
3	उप निरीक्षक (तकनीकी)–33	31	3	0	1	0	4	12	17	0	0	1	3	4	0	0	0	3	3	0	0	1	5	6	0	0	0	1	1	1	0	6	24	31
		TSP-02	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
		सहरिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	सहायक उप निरीक्षक (तकनीकी)–146	135	16	2	5	1	13	45	64	1	0	5	15	21	1	0	5	10	16	2	0	6	20	28	0	0	1	5	6	9	1	30	95	135
		TSP-11	01	0	0	0	1	5	6	0	0	0	0	0	0	0	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	11
		सहरिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	सहायक उप निरीक्षक (साईफर)–39	36	4	0	1	0	4	14	19	0	0	1	4	5	0	0	1	3	4	0	0	2	5	7	0	0	0	1	1	1	0	8	27	36
		TSP-03	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
		सहरिया	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	सहायक उप निरीक्षक (फिटर)	2	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2

नोटः–

1– महिलाओं हेतु विज्ञापित पदो पर, महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में इन पदों को सम्बन्धित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों से भरे जाने का प्रावधान है।

6. आरक्षण

(क) महिलाओं के लिएः–

विज्ञापित रिक्तियों में महिला अभ्यर्थियों का 30 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (Category Wise) है। महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बन्धित प्रवर्ग में जिसकी वे अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा।

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–7(2) डीओपी/ए–2/ 88/पार्ट–1 दिनांक 24.01.2011 के अनुसार सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए उपरोक्त 30 प्रतिशत आरक्षण में से 8 प्रतिशत विधवाओं के लिए और 2 प्रतिशत विच्छिन्न विवाह (तलाकशुदा/ परित्यकता) महिला अभ्यर्थियों के लिए होगा।

किसी वर्ग–विशेष में पात्र अथवा उपयुक्त विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के उपलब्ध न होने की दशा में विधवाओं और विच्छिन्न विवाह महिला अभ्यर्थियों के लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां उसी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों से भरी जायेंगी। ऐसी रिक्तियां पाश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रणीत नहीं की जायेगी।

स्पष्टीकरण– विधवा के मामले में उसे अपने पति की मृत्यु का सक्षम प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और तलाकशुदा के मामले में उसे विवाह विच्छेद का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने होंगें।

किसी वर्ग हेतु उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर ऐसे पदों को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। विवाहित महिला आवेदक को अपने पिता के नाम एवं निवास स्थान के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र (अनु.जाति/अनु.जन जाति/अ.पि.व./एस.बी.सी.) एवं टीएसपी क्षेत्र का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पति के नाम के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र आरक्षण क्षेत्र की दृष्टि से मान्य नहीं होगा।

(ख) भूतपूर्व सैनिकों के लिएः–

कुल रिक्त पदों के 12.5 प्रतिशत पद भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित हैं। भूतपूर्व सैनिकों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) है अर्थात अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के पदों के विरूद्ध समायोजित किया जावेगा।

राजस्थान सिविल सेवा भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन नियम,1988 के नियम 2(5) के अनुसार यदि उपयुक्त भूतपूर्व सैनिकों की अनुपलब्धता के कारण कोई आरक्षित रिक्ति बिना भरे रह जाए तो ऐसी रिक्ति को उक्त पद पर अन्य स्रोत से नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तो को विनियमित करने वाले नियमों के अनुसार यह मानकर कि रिक्ति आरक्षित नहीं थी, भरी जायेगी।

परन्तु, इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां जिसे आरक्षित रखा गया हो, अगले भर्ती वर्ष तक अग्रनीत की जाऐगी, तदुपरान्त रिक्तियां अनारक्षित मानी जाऐगी।

प्रतिरक्षा सेवाओं से सेवामुक्ति के समय सेवामुक्ति पुस्तिका में दर्शाया गया भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी का चरित्र (राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 7 में अंकितानुसार) 'अच्छा' होना चाहिए। भूतपूर्व सैनिक वर्ग के उपयुक्त एवं पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर खाली रहे पद अनारक्षित मानते हुए सम्बन्धित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे।

स्पष्टीकरण– भूतपूर्व सैनिक वर्ग के अन्तर्गत उसी अभ्यर्थी को पात्र माना जायेगा जो राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिकों का आमेलन) नियम, 1988 के नियम 3(क) के अन्तर्गत परिभाषित है।

(ग) **उत्कृष्ट खिलाडियों के पदों के लिए:–**

राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–5(31)कार्मिक/क–2/84/15.03.13 के अनुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए रिक्तियों में 2 प्रतिशत आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) रूप से माना जाएगा और इसका सामायोजन उस सम्बन्धित प्रवर्ग में किया जाएगा जिससे खिलाडी सम्बद्ध है। इस आरक्षित पद हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जायेगा और ऐसी रिक्ति पाश्चात्वर्ती वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण– उत्कृष्ट खिलाडियों से अभिप्रेत है और उसमें सम्मिलित है राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होनें:–

(i) इण्डियन औलम्पिक एसोशिएशन या सम्बन्धित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्टस फैडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

(ii) इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या सम्बन्धित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गैम्स फैडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

(iii) इण्डियन औलम्पिक एसोशिएशन या सम्बन्धित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्टस फैडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

(iv) इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोशिएशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इन्टरयूनिवर्सिटी टूर्नामेन्ट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

7 **वेतनमान और पेंशन**

नियुक्ति के उपरान्त दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी निरीक्षक पुलिस दूरसंचार के रूप में 17230/– रूपये, उप निरीक्षक के रूप में 14660/– रूपये एवं सहायक उप निरीक्षक के रूप में 13200/– रूपये मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा। तत्पश्चात् नियमानुसार निरीक्षक पद की नियमित वेतन श्रृंखला 9300–34800 (ग्रेड पे–4800), उप निरीक्षक पद की नियमित वेतन श्रृंखला 9300–34800 (ग्रेड पे–4200) एवं सहायक उप निरीक्षक पद की नियमित वेतन श्रृंखला 9300–34800 (ग्रेड पे– 3600) वेतन एवं नियमानुसार अन्य भते देय होंगे।

चयनित/नियुक्त होने वाले निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षकों के लिए राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01–01–2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

8. **भर्ती हेतु पात्रता/योग्यता/छूट**

(i) अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन/नागरिक होना चाहिए।

(ii) अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का व्यावहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। जिन अभ्यार्थियों के सैकण्डरी/सीनियर सैकण्डरी स्कूल परीक्षा में हिन्दी विषय नही रहा हों उन्हे हिन्दी भाषा दक्षता

परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। ऐसे अभ्यार्थियों के लिए साक्षात्कार से पूर्व विभाग द्वारा परीक्षा आयोजित की जायेगी।

(iii) <u>न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता</u>

पदनाम	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता
निरीक्षक पुलिस दूरसंचार	भारत सरकार द्वारा कानूनन मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से टेलीकम्युनिकेशन/इलेक्ट्रोनिक्स/इलेक्ट्रीकल्स इन्जिनियरिंग में बैचलर्स डिग्री या उसके समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य डिग्री। या एम.एस.सी. भौतिक शास्त्र दूरसंचार विषय के साथ या समकक्ष विशेष विषय के साथ परीक्षा उत्तीर्ण।
उप निरीक्षक (प्रवर्तक)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र व गणित के साथ बी.एस.सी. या सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई अन्य उपाधि या राज्य पुलिस दूरसंचार निदेशालय की द्वितीय श्रेणी ऑपरेटर परीक्षा उत्तीर्ण एवं द्वितीय श्रेणी ऑपरेटर के रूप में दो वर्ष का अनुभव
उप निरीक्षक (तकनीकी)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र व गणित के साथ बी.एस.सी. या सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई अन्य उपाधि या मान्यता प्राप्त संस्था से रेडियो–टेलिकम्युनिकेशन इन्जिनियरिंग /इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इन्जिनियरिंग में डिप्लोमा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष घोषित कोई अन्य डिप्लोमा या राज्य पुलिस दूरसंचार निदेशालय राजस्थान की द्वितीय श्रेणी टेक्नीशियन परीक्षा उत्तीर्ण एवं द्वितीय श्रेणी टेक्नीशियन के रूप में दो वर्ष का अनुभव
सहायक उप निरीक्षक (तकनीकी)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र व गणित के साथ बी.एस.सी. या सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई अन्य उपाधि
सहायक उप निरीक्षक (साईफर)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भौतिक शास्त्र व गणित के साथ बी.एस.सी. या सरकार द्वारा इसके समकक्ष घोषित कोई अन्य उपाधि
सहायक उप निरीक्षक (फिटर)	मान्यता प्राप्त संस्था का फिटर/इलेक्ट्रीशियन पाठ्यक्रम का योग्यता प्रमाण पत्र या डिप्लोमा या राज्य पुलिस दूरसंचार निदेशालय राजस्थान की तृतीय श्रेणी फिटर/इलेक्ट्रीशियन परीक्षा उत्तीर्ण के साथ तृतीय श्रेणी फिटर/इलेक्ट्रीशियन परीक्षा के रूप में दो वर्ष का अनुभव

नोट–1. जो अभ्यर्थी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की निर्धारित परीक्षा में अध्यनरत हैं वे भी इस भर्ती हेतु आवेदन कर सकते हैं परन्तु उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण होने का मूल प्रमाण पत्र/अंक तालिका प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2. आवेदक को निरीक्षक पद के लिए एक आवदेन, उप निरीक्षक प्रवर्तक एवं तकनीकी के लिए एक आवेदन कर विकल्प प्रस्तुत करना होगा, सहायक उप निरीक्षक तकनीकी एवं साईफर के लिए एक आवेदन कर विकल्प प्रस्तुत करना होगा एवं सहायक उप निरीक्षक फिटर पद के लिए एक आवेदन करना होगा।

(iv)<u>आयु सीमा</u>–राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम–1989 के नियम–11 एवं राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ–7(2)डीओपी/ए–2/84–पार्ट दिनांक 25.06.2004 के अनुसार आयु की गणना 01 जनवरी, 2017 को आधार मानकर निम्नानुसार की जावेगी।

निरीक्षक पुलिस दूरसंचार, उप निरीक्षक (प्रवर्तक), उप निरीक्षक (तकनीकी), सहायक उप निरीक्षक (तकनीकी), सहायक उप निरीक्षक (साईफर) एवं सहायक उप निरीक्षक (फिटर) के लिए

वर्ग (Category)	निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो (न्यूनतम आयु तिथि)	निम्न तिथि के पूर्व का जन्म नहीं हो (अधिकतम आयु तिथि)			
	निरीक्षक / उ.नि. / स.उ.नि.	**निरीक्षक**		उ.नि. / स.उ.नि.	
	पुरूष / महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
सामान्य	01.01.1997	02.01.1982	02.01.1977	02.01.1992	02.01.1987
एस.सी. / एस.टी. / ओ.बी.सी / एसबीसी वर्ग	01.01.1997	02.01.1977	02.01.1972	02.01.1987	02.01.1982
कर्त्तव्य निर्वहन में मृत पुलिसकर्मी के आश्रित एवं राज्य कर्मचारी	01.01.1997	02.01.1979	02.01.1974	02.01.1989	02.01.1984
भूतपूर्व सैनिक	01.01.1997	02.01.1975	02.01.1975	02.01.1975	02.01.1975

(v) <u>शारीरिक मापदण्ड</u>–

राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम–14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एंव वजन निम्नानुसार होना अनिवार्य है:–

मापदण्ड	सामान्य / अनु.जाति / अनु. जन जाति		पहाडी एवं अदिवासी क्षेत्र के अभ्यार्थियों के लिए मापदण्ड	
	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
न्यूनतम ऊंचाई	168 से.मी.	152 से.मी.	160 से.मी.	152 से.मी.
सीना (केवल पुरूषों के लिए)	बिना फुलाऐ–81से.मी. फुलाने पर–86से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं	बिना फुलाऐ–79से.मी. फुलाने पर–84से.मी. (सीने का फुलाव कम से कम 5 से.मी.)	लागू नहीं
वजन (केवल महिलाओं के लिए)	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.	लागू नहीं	47.5 कि.ग्रा.

नोट–यदि शारीरिक मापदण्डों के अनुसार अनुसूचित जाति / अनसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 से.मी. की छूट देय होगी।

(vi) <u>चिकित्सकीय मापदण्ड</u>

(i) अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि 6x6 होनी अनिवार्य है।

(ii) अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ स्वास्थ्य वाला एवं सभी शारीरिक विकारों, दोषों, रोगों से मुक्त होना चाहिए। अभ्यर्थी मानसिक रूग्णता से ग्रस्त नहीं होना चाहिए।

(iii) अभ्यर्थी के घुटने आपस में टकराने (Knock-Knee), नसें फूली हुई होना (Varicose Veins), भैंगापन (Squint), रतौंधी (Night Blindness), रंग दृष्टि दोष (Colour Blindness) हकलाकर बोलना (Stammering), पैर

समतल (Flat Foot) या अन्य कोई विकृति जो कर्त्तव्य पालन में बाधक हो (Any Other Deformity) नहीं होनी चाहिए।

9. <u>नियुक्ति के लिए अयोग्यता</u>

(i) किसी भी ऐसे पुरूष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हों नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा।

(ii) किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरूष से विवाह किया है जिसकी पहली पत्नी जीवित है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जावेगा।

(iii) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके दिनांक 01–06–2002 को या उसके पश्चात 2 से अधिक संतान हों, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जावेगा, जब तक कि 01–06–2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढोतरी नहीं होती।

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चात्वर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक ईकाई समझा जाएगा।

परन्तु यह भी कि किसी अभ्यर्थी की सन्तानों की कुल संख्या की गणना करते समय ऐसी सन्तान की, जो पूर्वोत्तर प्रसव से पैदा हुई हो और निःशक्त हो, गणना नहीं की जाएगी।

(iv) राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक प–6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करवाया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र यथा समय वान्छनीय होगा।

(v) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा यदि उसने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया गया होगा।
स्पष्टीकरण– इस नियम के प्रयोजन हेतु 'दहेज' से यही तात्पर्य होगा जो दहेज प्रतिबन्ध एक्ट, 1961 में है। (सेन्ट्रल एक्ट 28 आफ 1961)

(vi) भूतपूर्व सैनिकों को देय आयु सीमा में छूट का लाभ लेने हेतु आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक नियमानुसर सेना से सेवानिवृत्त हो जाना आवश्यक है अन्यथा उन्हें आयु सीमा में लाभ देय नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों का लाभ देय नहीं होगा।

(vii) आयोग/भर्ती बोर्ड अथवा अन्य किसी संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा से वन्चित (डीबार) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वन्चित (डिबार) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई हो, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

(viii) नैतिक अद्यमता (Moral Turpitude) के अपराध में दोषसिद्व अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होगें।

10. भर्ती हेतु चयन प्रकिया

परीक्षा के सभी चरणों के कुल 450 अंक हैं जिनकी गणना निम्नानुसार की जाएगीः–

परीक्षा का चरण	निरीक्षक पुलिस दूरसंचार	उप निरीक्षक (प्रवर्तक)	उप निरीक्षक (तकनीकी)	सहायक उप निरीक्षक (तकनीकी)	सहायक उप निरीक्षक (साईफर)	सहायक उप निरीक्षक (फिटर)
लिखित परीक्षा	400	400	400	400	400	400
साक्षात्कार	50	50	50	50	50	50
अंकों का योग	450	450	450	450	450	450

(i) लिखित परीक्षा–

अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा निदेशालय पुलिस दूरसंचार द्वारा निर्धारित स्थान पर आयोजित की जाएगी। **लिखित परीक्षा की तिथि समाचार पत्रों/वेबसाइट/एसएमएस (यथासम्भव) पर प्रकाशित की जायेगी।** परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में आवेदक की कोई प्राथमिकता नहीं होगी तथा न ही कोई आपत्ति स्वीकार होगी। लिखित परीक्षा दो भागों में वस्तुनिष्ठ (Objective Type) प्रकार की होगी जो संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार Online अथवा OMR Sheet द्वारा लिए जायेंगें।

निरीक्षक पुलिस दूरसंचार, उप निरीक्षक एवं सहायक उप निरीक्षक के लिए लिखित परीक्षा का भाग 'अ' सामान्य अध्ययन 75 प्रश्न 150 अंक एवं भाग 'ब' सैद्धान्तिक विषय 100 प्रश्न 250 अंक का होगा।

विस्तृत पाठ्यक्रम (Detailed Syllabus) वैबसाईट www.police.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध करवाया जावेगा।

किसी प्रश्न का गलत उत्तर देने पर 1/2 अंक काटा जायेगा। अभ्यार्थी को उत्तीर्ण होने हेतु 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यार्थियों हेतु प्राप्तांकों में **5** अंको तक की छूट देय होगी। लिखित परीक्षा का परिणाम रिक्त पदों के 20 गुणा अभ्यर्थियों का वरीयतानुसार जारी किया जावेगा।

लिखित परीक्षा की सूचना एवं परिणाम वैबसाईट www.police.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकेगी एवं पुलिस दूरसंचार लाईन के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाएगी। लिखित परीक्षा के अंक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित किए जाएंगे।

परीक्षा केन्द्रः–

परीक्षा जयपुर में आयोजित की जानी सम्भावित है परन्तु अभ्यार्थियों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए राजस्थान के सभी संभागीय जिला मुख्यालयों (अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर) तथा अलवर एवं सीकर में भी परीक्षा आयोजित की जा सकती है। अतः आवेदक परीक्षा केन्द्र हेतु जयपुर के अतिरिक्त अन्य दो संभागीय जिला मुख्यालयों का विकल्प भी आवेदन पत्र में उल्लेखित करें। परीक्षा हेतु परीक्षा केन्द्रों का आवंटन आवेदक द्वारा चुने गए जिला परीक्षा केन्द्र एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दृष्टिगत रखते हुए किया जाएगा। अतः निदेशालय द्वारा स्वविवेक से परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा चुने गए जिला परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन किया जा सकता है।

(ii) मापतौल एवम शारीरिक दक्षता परीक्षा– सम्बन्धित पदो की वर्गवार रिक्तियों के विरूद्ध लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शारीरिक माप–तौल

व शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु आमंत्रित किया जाएगा। भर्ती बोर्ड द्वारा शारीरिक माप–तौल में योग्य पाए गये अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा आयोजित की जावेगी। अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व राजकीय चिकित्सक से शारीरिक दक्षता परीक्षा की दौड में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित केन्द्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करेगा। उसके उपरान्त ही अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंको की होगी जिनका विभाजन निम्नानुसार हैः–

पुरूष अभ्यार्थीः–

क्र.सं.	आईटम	समय	अंक
1	100 मीटर दौड	14 सैकण्ड	40
		15 सैकण्ड	25
		16 सैकण्ड	15
		16 सैकण्ड से अधिक	शून्य
2	लम्बी कूद	15 फिट एवं अधिक	30
		14 फिट	20
		13 फिट	10
		13 फिट से कम	शून्य
3	चिनिंग अप (ओवर हैण्ड एवं एक ही समय में)	7	30
		6	20
		5	10
		5 से कम	शून्य

भूतपूर्व सैनिक अभ्यार्थीः–

क्र.सं.	आईटम	समय	अंक
1	100 मीटर दौड	17 सैकण्ड	40
		18 सैकण्ड	25
		19 सैकण्ड	15
		19 सैकण्ड से अधिक	शून्य
2	लम्बी कूद	13 फिट एवं अधिक	30
		12 फिट	20
		11 फिट	10
		11 फिट से कम	शून्य
3	चिनिंग अप (ओवर हैण्ड एवं एक ही समय में)	5	30
		4	20
		3	10
		3 से कम	शून्य

महिला अभ्यार्थीः–

क्र. सं.	आईटम	समय	अंक
1	100 मीटर दौड	17 सैकण्ड	40
		18 सैकण्ड	25
		19 सैकण्ड	15
		19 सैकण्ड से अधिक	शून्य
2	लम्बी कूद	10 फिट एवं अधिक	30
		9 फिट	20
		8 फिट	10
		8 से कम	शून्य

3	शॉट पुट (4 कि.ग्रा.)	16 फिट	30
		15 फिट	20
		14 फिट	10
		14 फिट से कम	शून्य

अभ्यार्थी द्वारा शारीरिक दक्षता परीक्षा में समग्र (एग्रीगेट) रूप से 50 या अधिक अंक प्राप्त करने पर ही उत्तीर्ण घोषित किया जावेगा।

शारीरिक दक्षता परीक्षा में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अग्रिम प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में प्राप्त अंक अन्तिम चयन के लिए सम्मिलित नही किये जायेगें।

(iii) साक्षात्कार – 50 अंक

(iv) चयन सूची–

अभ्यर्थियों द्वारा समग्र प्रकार (**लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार**) के अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों की प्राप्तांकों के आधार पर नियमानुसार वरीयता क्रम में चयन सूची तैयार की जावेगी। सम्भावित रिक्त पदों के विरूद्व चयन किये गये अभ्यर्थियों को रिक्त पद उपलब्ध होने पर ही नियुक्ति दी जा सकेगी।

(v) स्वास्थ्य परीक्षण–

मेडिकल बोर्ड से चिकित्सीय परीक्षण में उपयुक्त पाये गये अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा।

अपील– उक्त चिकित्सीय परीक्षण में अयोग्य पाये जाने वाले अभ्यर्थियों द्वारा एक माह की अवधि में अपील करने पर द्वितीय मेडिकल बोर्ड गठित कर चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा। पुनः स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाना अभ्यार्थी का अधिकार नही है।

(vi) प्रमाण पत्र एवं चरित्र सत्यापन–

चयन सूची पर लिये गए अभ्यर्थियों के आयु, शिक्षा एवं वर्ग इत्यादि से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों की जॉच कराई जाएगी तथा वेरीफिकेशन रोल भरवाया जाकर चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के उपरान्त उपयुक्त पाये जाने वाले अभ्यर्थी को ही नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जावेगा। तथ्य छुपाने वाले अभ्यार्थी को किसी भी स्थिति में नियुक्ति प्रदान नही की जावेगीं।

11. प्रमाण पत्र–

अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय निम्नांकित मूल प्रमाण पत्र एवं उनकी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित एक प्रतिलिपि प्रस्तुत करने होंगे–

(i) शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र।
(ii) आयु प्रमाण–पत्र (यदि शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र में आयु अंकित नहीं है तो)
(iii) ट्राईबल सब प्लान एरिया के अभ्यर्थी (सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग) के अभ्यर्थी प्रथम श्रेणी दण्डनायक या समकक्ष अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी किया गया जाति प्रमाण–पत्र।
(iv) आवेदक यदि राजकीय कर्मचारी है तो राजकीय कर्मचारी होने का प्रमाण–पत्र एवं नियोक्ता/विभागाध्यक्ष द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
(v) आवेदक यदि मृतक पुलिस कर्मी का आश्रित है तो मृतक पुलिस कर्मी, जिसकी कर्त्तव्य निर्वहन के दौरान मृत्यु हुई हो, उसके आश्रित होने का प्रमाण–पत्र।
(vi) अंतिम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया हुआ चरित्र प्रमाण–पत्र एवं दो स्थानीय प्रतिष्ठित व्यक्तियों (रिश्तेदारों के अतिरिक्त) द्वारा जारी किये गये चरित्र प्रमाण–पत्र जो 6 माह से अधिक पुराने नहीं होने चाहिए।

(vii) यदि अभ्यर्थी राज्य सरकार की अधिसूचंना संख्या प–5(31) कार्मिक/क–2/84 दिनांक 15.03.13 के प्रावधानुसार जैसा कि विज्ञप्ति के बिन्दू संख्या–6(ड.) के स्पष्टीकरण में अंकित है के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रतिनिधित्व कर चुका है तो उससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र।

(viii) भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में भूतपूर्व सैनिक डिस्चार्ज होने का प्रमाण पत्र/पेंशनर होने का प्रमाण पत्र ।

(ix) आवेदक से सम्बन्धित सूचना के लिए विभाग द्वारा चयन उपरान्त निर्धारित आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें चिपकाने के लिए स्वयं के दो (4.5X3.5 सेमी.) फोटो।

12. महत्वपूर्ण निर्देश

(i) आवेदन–पत्र में अंकित सभी तथ्य व सूचनाएं सही होनी चाहिए। आवेदन–पत्र में अंकित सूचना किसी भी स्तर पर गलत अथवा अपूर्ण पाई जाने पर आवेदन–पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा। गलत अथवा अपूर्ण सूचना की जानकारी शारीरिक दक्षता परीक्षा अथवा चयन प्रक्रिया के उपरान्त किसी भी स्तर पर सत्यापित हुई तो अभ्यर्थी की नियुक्ति हेतु पात्रता व नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जावेगें। **यदि नियुक्ति के उपरान्त भी कोई सूचना गलत पाई गई तो राज्य सेवा से निष्कासन करते हुए नियमानुसार विधि संगत कार्यवाही की जाएगी।**

(ii) निरस्त किए गये आवेदन–पत्रों की शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी।

(iii) राज्य सेवा में सेवारत कर्मचारियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय सम्बन्धित विभागाध्यक्ष का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा उनकी पात्रता निरस्त की जा सकती है।

(iv) आवेदक को चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा भत्ता अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा।

(v) परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश–पत्र एवं एक पहचान पत्र (आई.डी.) साथ रखना अनिवार्य होगा। प्रवेश–पत्र के अभाव में अभ्यर्थी को परीक्षा में भाग नहीं लेने दिया जाएगा।

(vi) अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा में स्वयं की जिम्मेदारी पर भाग लेगा। इस परीक्षा के समय किसी भी प्रकार की अस्वस्थता, शारीरिक हानि अथवा मृत्यु होने की दशा में उसे कोई क्षतिपूर्ति देय नही होगी। शारीरिक रूप से अस्वस्थ अभ्यर्थी एवं गर्भवती महिलाओं को उनके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग न लेने की सलाह दी जाती है।

(vii) राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या–प.(1)कार्मिक/क–2/2016 दिनांक–15.07. 2016 के प्रावधानानुसार छद्मवेश में कार्य करने अथवा किसी भी तरह के तथ्य विशेषतया आपराधिक/फौजदारी प्रकरण को छिपाने वाले, जाली दस्तावेज का उपयोग करना दण्डनीय अपराध है। अपराध की गम्भीरता को देखते हुए उन्हें आगामी वर्षो में राज्य सरकार के अधीन किसी पद हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा में प्रवेश करने से स्थाई अथवा विनिर्दिष्ट अवधि हेतु वन्चित भी किया जा सकता है। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध पूर्व में ऐसा आदेश जारी किया गया हो, जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो तो वह इस परीक्षा हेतु अपात्र माना जाएगा।

(viii) शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से पृथक से निर्धारित किया गया आवेदन पत्र भरवाया जायेगा जिसमें विज्ञप्ति के बिन्दू संख्या 11 में वर्णितानुसार सूचना अंकित करते हुए चाहे गये प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी।

(ix) परीक्षा ओ.एम.आर. शीट से ली जाने की स्थिति में उत्तर पुस्तिकाओं (ओ.एम.आर. शीट) की जाँच व परिणाम जारी करने का कार्य कम्प्यूटर की मदद से किया जाएगा। परीक्षा के दौरान उत्तर–पत्रक में उत्तर पत्रक के पीछे की ओर छपे निर्देशों के अनुरूप सूचना भरना अनिवार्य है। **उत्तर–पत्रक पर आवश्यक तथ्य अंकित न करने अथवा गलत तथ्य अंकित करने पर अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा।** मूल्यांकन कार्य कम्प्यूटर द्वारा होने के कारण पुनर्गणना अथवा उत्तर–पत्रक की प्रति उपलब्ध कराने की प्रार्थना स्वीकार नहीं की जाएगी। उत्तर पत्रक भरने के सम्बन्ध में निर्देश एवं नमूना, प्रवेश पत्र के साथ अलग से भिजवाये जायेगे।

(x) किसी भी प्रकार की पूछताछ (Query) हेतु दूरभाष संख्या–0141–2613854, 2740498 पर कार्यालय समय में सम्पर्क किया जा सकता है।

भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा जारी नियम, परिपत्रों का विज्ञप्ति में समावेश किया गया है फिर भी भर्ती हेतु प्रचलित किसी नियम/परिपत्र का समावेश होने से रह जाने एवं टंकण त्रुटि होने की स्थिति में ऐसे नियम/परिपत्र उक्त भर्ती में प्रभावी माने जायेगें।

(सुनील दत्त)
महानिरीक्षक पुलिस एवं
निदेशक पुलिस दूरसंचार
राजस्थान, जयपुर।